तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.32/2023	नम्बर व तारीख अह-ाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
20.4.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हेमराज पुत्र मालाराम जी, जाति– कलबी, निवासी– बस स्टेण्ड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चौधरी टी स्टॉल, कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने, मेन रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2022 को फर्म चौधरी टी स्टॉल, कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने, मेन रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी हेमराज पुत्र मालाराम जी, जाति– कलबी, निवासी– बस स्टेण्ड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ भुजिया नमकीन (ओसवाल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1893 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1796/Act/2022/1782 दिनांक 31.10.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्यायं निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.4.2023 को प्रतिवादी हेमराज ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसके चाय की दुकान है एवं उसने यह भुजिया नमकीन (ओसवाल ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से क्रय किया था जिसका बिल गुम गया है। उसने मिथ्याछाप भुजिया नमकीन (ओसवाल ब्राण्ड) का निर्माण नही किया है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने दि[illegible] चौधरी टी स्टॉल, मेन रोड, अनादरा, तह[illegible] जिला– सिरोही में प्रतिवादी/विक्रेता हेमराज पु[illegible] कलबी, निवासी– बस [illegible] सिरोही से ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.32/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	खाद्य पदार्थ भुजिया नमकीन (ओसवाल ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ भुजिया नमकीन (ओसवाल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1893 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1796/Act/2022/1782 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ भुलिया नमकीन (ओसवाल ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी हेमराज ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ भुजिया नमकीन (ओसवाल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी हेमराज पुत्र मालाराम जी, जाति– कलबी, निवासी– बस स्टेण्ड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चौधरी टी स्टॉल, कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने, मेन रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी हेमराज को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 25.5.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:58 IST
Reason: SelfAttested